

20/IV/15



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



W 054243



मोमप्रकाश यादव
दस्तावेज लेखक

तहसील- शिकोहाबाद, जिला- फिरोजाबाद

ट्रस्ट डीड

यह विलेख आज दिनांक 02-06-2015 ई0 को श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री गिरेन्द्र सिंह निवासी- हैबतपुर रोड, सिरसागंज, तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद द्वारा निष्पादित किया गया है।

1. **ट्रस्ट का नाम-** श्री गिरेन्द्र सिंह मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट
2. **ट्रस्ट का पता-** हैबतपुर रोड, सिरसागंज, तहसील- शिकोहाबाद, जिला- फिरोजाबाद।
3. **ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र-** सम्पूर्ण भारत वर्ष

क्रमशः.....2 पर



रजिस्टर का क्रमांक 40 दिनांक 01/6/2015

पट्टा का मूल्य अंकों/शतों में १००/१०००

केता का नाम प्रदीप कुमार

पिता/पति का नाम गिरिन्द्र सिंह

व्यवहार/निवास का पता हवेली रोड सिरसागंज

लेखपत्र का प्रकार

कुल किता 11 कुल कीमत 750/-



स्टडीड

प्रीस रजि० १०० + २० = १२०/- ६००

श्री/श्रीमती प्रदीप कुमार

पुत्र/पत्नी श्री गिरिन्द्र सिंह

पेशा निवासी हवेली रोड सिरसागंज

तहसील-शिकोहाबाद

मंडल लेखपत्र का

दिनांक 2-6-15

11/12/2015

लेखपत्र के निष्पादन का व. अ. अ. अ.

लेखपत्र प्रलेखन

से अंक

का भौ. प्रमाण पत्र

प्रदीप कुमार उड्डर

के हस्ताक्षर किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
शिकोहाबाद
2-6-15



जनकापहिवानश्री प्रदीप कुमार उड्डर

पुत्रश्री

निवासी

वश्री

पुत्र

निवासी

की।

तहसील

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
शिकोहाबाद 2-6-15

0210612015



माझी भर प्रतीत होते हैं
अगुष्ट निशान विधिवत लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
शिकोहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 847850

(2)

4. शाखा कार्यालय- ट्रस्ट की शाखायें देश के अन्य स्थानों पर स्थापित की जा सकती है।
5. ट्रस्ट में लगाया गया धन- ट्रस्ट में लगाया गया धन 5,100/- पांच हजार एक सौ रुपये नगद धनराशि श्री प्रदीप कुमार व अन्य द्वारा ट्रस्ट के लिए समर्पित की गयी है।
भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार जो सम्पत्ति के स्वामित्व का आबद्ध होता है जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है। अथवा घोषित एवं स्वीकार करता है। सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ को स्वीकार करेगा।
6. ट्रस्ट के तत्व- मुख्य ट्रस्टीगण द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है। ट्रस्ट एक प्रकार का अभार है। आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आबद्ध होता है। ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है। और प्रत्येक ट्रस्ट के लिए हिताधिकारियों का होना आवश्यक है ट्रस्ट का रचयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आबद्ध करेगा। इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी द्वारा विश्वास पूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

क्रमशः 3 पर



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AA 928829

(4)

4. जनता में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना तथा विद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थाओं/डिग्री कालेज/इन्जीनियरिंग/तकनीकी एवं कृषि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, कम्प्यूटर युक्त आधुनिक शिक्षा पद्धति से करना उनका प्रबन्धन एवं संचालन करना।
5. समय-समय पर अन्य समाज सेवा जनहितकारी कार्य करना।
6. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं से अथवा निजी व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों से अनुदान, दान अथवा ऋण प्राप्त करना।
7. ट्रस्ट के विकास हेतु निर्धन, अनाथ एवं निर्बल वर्ग के नागरिकों वृद्धजनों, विधवा/अनाथ महिलाओं, निराश्रित अनाथ बच्चों, अपंग लोगों के कल्याण हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों, मंत्रालयों एवं अन्य संस्थाओं, संगठनों के वित्तीय सहयोग/अनुदान/ऋण से चलायी जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित कर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना।
8. समय-समय पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराना आदि।
9. ट्रस्ट के पास वर्तमान समय में कोई भी चल-अचल सम्पत्ति नहीं है।
10. ट्रस्ट का कार्यालय वर्तमान समय में ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है।

क्रमशः.....5 पर



[Handwritten signature]



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

28AA 928830

9. ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्य-

1. ट्रस्ट में जन सामान्य द्वारा एवं ट्रस्टियों द्वारा दिया गया धन एवं दान की धनराशि ट्रस्ट के द्वारा खोले गये खाता (किसी राष्ट्रीयकृत बैंक) में जमा की जायेगी जो जनहित तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च की जायेगी उक्त धनराशि के लिए लेनदेन करने (बैंक खाता संचालन के लिए) मुख्य ट्रस्टी श्री प्रदीप कुमार के हस्ताक्षर से ही बैंक से धन निकाला जायेगा।
2. यह कि ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय, अन्य संस्थान की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति एवं उसका संचालन इसी ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।
3. यदि किसी कारणवश ट्रस्ट द्वारा कोई भी संस्था समाप्त होती है। ऐसी स्थिति में संस्था की चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट में स्वतः निहित हो जायेगी।

10. ट्रस्टियों की नियुक्ति- सभी ट्रस्टी आजीवन इस ट्रस्ट के सदस्य रहेंगे किसी सदस्य की मृत्यु के उपरान्त नये ट्रस्टी का चयन मुख्यट्रस्टी द्वारा किया जायेगा। मुख्यट्रस्टी की मृत्यु या मानसिक स्थिति ठीक न होने पर ट्रस्ट का वारिस मुख्यट्रस्टी का पुत्र होगा।

11. संचालित संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों के नामित सदस्य- ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य संस्थाओं, जो ट्रस्ट द्वारा संचालित होंगे की प्रबन्ध समितियों का गठन मुख्यट्रस्टी एवं दो अन्य ट्रस्टी मिलकर करेंगे।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AA 928831

(6)

12. ट्रस्ट प्रमुख- श्री कुलदीप कुमार पुत्र स्व० श्री गिरेन्द्र सिंह इस ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे एवं श्री प्रदीप कुमार पुत्र स्व० श्री गिरेन्द्र सिंह इस ट्रस्ट के प्रबन्धक/सचिव होंगे, एवं श्रीमती राजकुमारी पत्नी स्व० श्री गिरेन्द्र सिंह इस ट्रस्ट की लेखा परीक्षक होंगी, ये तीनों ही ट्रस्टी/मुख्यट्रस्टी प्रमुख होंगे एवं इनकी मृत्योपरान्त मुख्यट्रस्टी श्री प्रदीप कुमार द्वारा नामित व्यक्ति ही उनके उत्तराधिकारी, पदाधिकारी/प्रमुखट्रस्टी/ट्रस्टी पद पर नियुक्त होगा। उत्तराधिकारी में मुख्य ट्रस्टी का पुत्र ही मुख्यट्रस्टी/प्रमुखट्रस्टी/ट्रस्टी होगा।
13. ट्रस्टियों की संख्या- ट्रस्टियों की संख्या मुख्यट्रस्टी को मिलाकर 4 होगी, जिसमें वर्तमान में मुख्यट्रस्टी सहित तीन ट्रस्टी होंगे।
1. श्री प्रदीप कुमार पुत्र स्व० श्री गिरेन्द्र सिंह
निवासी- हैबतपुर रोड, सिरसागंज, तहसील-शिकोहाबाद मुख्य ट्रस्टी/ट्रस्टीकर्ता
जिला- फिरोजाबाद
 2. श्री कुलदीप कुमार पुत्र स्व० श्री गिरेन्द्र सिंह
निवासी- हैबतपुर रोड, सिरसागंज, तहसील- शिकोहाबाद ट्रस्टीकर्ता
जिला- फिरोजाबाद
 3. श्रीमती राजकुमारी पत्नी स्व० श्री गिरेन्द्र सिंह
निवासी- हैबतपुर रोड, सिरसागंज, तहसील-शिकोहाबाद ट्रस्टीकर्ता
जिला- फिरोजाबाद



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AA 928832

(7)

4. श्रीमती सीमा जादोन पत्नी श्री कुलदीप सिंह
निवासी- हैबतपुर रोड, सिरसागंज, तहसील-शिकोहाबाद ट्रस्टीकर्ता
जिला- फिरोजाबाद
14. ट्रस्ट की बैठक- ट्रस्ट की साधारण बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी जिसकी सूचना समस्त ट्रस्टियों को एक सप्ताह (सात दिन) पूर्व दी जायेगी किन्तु विशेष बैठक किसी भी समय 24 घण्टे पहले सूचना देकर बुलाई जा सकती है। बैठक अध्यक्ष एवं प्रबन्धक की सहमति से अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक में से कोई भी बुला सकता है।
15. गणिपूर्ति- बैठक में समस्त ट्रस्टियों के 2/3 भाग ट्रस्टियों का होना अनिवार्य है।
16. ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य-
1. अध्यक्ष-
 - (1) ट्रस्ट मण्डल के अध्यक्ष ट्रस्ट का प्रत्येक सभा में एवं प्रमुख स्थानों पर सभा की अध्यक्षता करेंगे।
 - (2) मीटिंग बुलाने के लिए प्रबन्धक को निर्देश देंगे।
 2. प्रबन्धक/सचिव-
 - (1) ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना तथा उनकी सूचना सदस्यों तक पहुंचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना व प्रतिनिधित्व करना।
 - (2) ट्रस्ट के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उनका प्रचार-प्रसार करना।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(8)

28AA 928833

- (3) ट्रस्ट के हित में दान, चन्दा, प्राप्त करना तथा संस्था कोष में जमा करना, ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं देखभाल करना।
- (4) दान अनुदान चन्दा प्राप्त करना व उसकी रसीद देना ट्रस्ट के सभी अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना एवं उनका समय-समय पर निरीक्षण करना।
- (5) ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष की अनुमति से एवं वार्दों की पैरवी करना।
- (6) संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चैकों, ट्रस्टी, बन्धक विलेखों, बिल वाउचर पर मुख्यट्रस्टी के हस्ताक्षर करना।
17. **लेखा परीक्षक**- ट्रस्ट के मुख्यट्रस्टी के मार्ग दर्शन एवं सहमति से किसी भी ट्रस्टी सदस्य को ट्रस्ट का लेखा परीक्षक नियुक्त किया जा सकेगा एवं मुख्यट्रस्टी द्वारा अनावश्यक समझे जाने पर हटाया जा सकेगा। ट्रस्टी प्रमुख के मार्ग दर्शन एवं सहमति से ही ट्रस्ट के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु धन संग्रह व्यय किया जा सकेगा। लेखा परीक्षक ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय व्यय का हिसाब किताब का बराबर लेखा जोखा रखेगा एवं नियमित रूप से कानून अनुसार आडिट आदि करवायेगा। संस्था के आय-व्यय वही पत्रों की सत्र समाप्ति पर जांच हेतु मुख्यट्रस्टी के समक्ष प्रस्तुत करना।

क्रमशः.....9 पर



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AA 928827

(9)

18. संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का गठन-

1. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओं के लिए प्रबन्ध समिति का चुनाव इन्हीं ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये मुख्यद्रुस्ती चुनाव अधिकारी की नियुक्त करेगा।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं/महाविद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों के अधिकार कर्तव्य निर्धारित प्रबन्धकीय योजना (उच्च शिक्षा) के अनुरूप होंगे।
3. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं/महाविद्यालयों के संचालन के लिए प्रबन्ध समिति का गठन मुख्यद्रुस्ती व अन्य दो द्रुस्ती मिलकर करेंगे तथा प्रबन्ध समिति एवं उसके पदाधिकारियों का चयन इन्हीं तीन द्रुस्तीयों में से होगा अर्थात् ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रत्येक विद्यालय/ महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति में ट्रस्ट के तीन द्रुस्ती ही होने के नाते प्रबन्ध समितियों के सदस्य व पदाधिकारी होंगे।
4. ट्रस्ट द्वारा संचालित महाविद्यालय में तीन द्रुस्ती ही पदाधिकारी व सदस्य होंगे जिसमें पदाधिकारियों का चयन मुख्यद्रुस्ती करेगा। संचालित संस्थान/महाविद्यालय में निम्न पदाधिकारी होंगे।

(1) अध्यक्ष	एक
(2) प्रबन्धक/सचिव	एक
(3) लेखापरीक्षक/आडीटर	एक
(4) कोषाध्यक्ष	एक



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

28AA 928828

उपरोक्त ट्रस्ट का गठन दिनांक 02-6-2015 को साधारण जनता के हितों व लाभों के लिए किया गया है ट्रस्ट द्वारा मुख्य रूप से शिक्षा संस्थानों/डिग्री कालेजों का संचालन किया जाना, वृद्धों, निर्बलों, असहायों, विकलांगों, महिलाओं व अनाथ बच्चों की सहायता करना, रोगी आदि रोज के निवारण हेतु तत्परता दिखाना व चिकित्सालयों की स्थापना करना व ट्रस्ट सम्पत्तियों व भवनों का जीर्णद्वारा करने, निर्धन, कन्याओं के विवाह आदि करवाना व यथा समय निर्धनों को दान एवं समय-समय पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराना आदि उपरोक्त ट्रस्ट का उद्देश्य होगा।

अतः यह ट्रस्ट डीड मुख्यद्रस्टी व अन्य दो ट्रस्टियों द्वारा राजी व खुशी से बिना वहकाये व सिखाये व बिना किसी नाजायज दबाव के अपने पूर्ण होश हवाश में परिवारीजनों से सलाह मशवरा करके लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

क्रमशः.....11 पर



Handwritten signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AC 216292

(11)

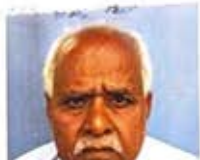
मसौदाकर्ता एवं फोटो प्रमाणितकर्ता- ओमप्रकाश यादव, दस्तावेज लेखक, तहसील शिकोहाबाद। रजिस्टर्ड तारीख 02-06-2015 ई०।

गवाह- यशवन्त सिंह एडवोकेट
तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद

[Signature]

गवाह- राजेश कुमार, एडवोकेट
तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद

[Signature]
Advocate
02/06/2015



[Signature]



[Signature]
Advocate
02/06/2015

[Signature]
ओमप्रकाश यादव
दस्तावेज लेखक
तहसील- शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)

[Signature]

